आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ7(4)विविध/अकाद/आकाशि/2021/297 दिनांकः 15 सितम्बर, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :— प्रवेश नीति सत्र 2021—22 के बिन्दु संख्या 6.8 में कोरोना से मृत्यु के सम्बन्ध में वर्णित प्रावधान के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रवेश नीति सत्र 2021—22 के बिन्दु संख्या 6.8 में स्पष्ट उल्लेख है कि ''जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में न्यूनतम् उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी। यह लाभ तभी देय होगा, जबकि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र में माता/पिता अथवा दोनों की एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके पति की मृत्यु कोरोना से होना अंकित हो''।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण—पत्र में 'मृत्यु के कारण' का कॉलम नहीं होने के कारण प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 6.8 में शिथिलता प्रदान करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल द्वारा जारी डेथ समरी/मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोविड—19 महामारी में मृतक के परिवारजन को दी गई आर्थिक सहायता के आदेश में **कोविड—19 द्वारा मृत्यु होने का उल्लेख होने पर** उन्हें प्रवेश नीति के बिन्दु संख्या 6.8 में वर्णित प्रावधान का लाभ दिया जाये।

भवदीय,

(संदेश नायक, IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव उच्च एवं तकनीकि शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप—4)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)